भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3829

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनआरएचएम के अंतर्गत चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति

3829. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

श्री डी.के. सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत रोस्टर-सह- मेरिट आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को पर्याप्त वेतन के साथ ग्रेड-1 का दर्जा प्राप्त है जबकि कर्नाटक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को अपेक्षाकृत कम वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सकों के वेतन ढांचे में असमानता को दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत रोस्टर-सह-मेरिट के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है और उनका वेतन एनएचएम मानदंडों के अनुसार है।

(ग) और (घ):एनएचएम भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार मध्यम और प्राथमिक परिचर्या सुविधा केन्द्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे के स्तर के) में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करके नियमित मानव संसाधनों की पूर्ति करता है। कुल मानव संसाधन (एचआर) के 5% बजट का

अनुमोदन एनएचएम के तहत सभी स्वास्थ्य मानव संसाधनों (एचआरडी) में वृद्धि के तौर पर किया गया है तथा कुल 3% एचआर बजट की सिफारिश एचआर यौक्तिकरण के लिए की गई है जिसके भीतर किसी वास्तविक संवर्धन का निर्धारण करना राज्य का अधिकार है। एचआर यौक्तिकरण प्रक्रिया और इसके सिद्धांतों, वृद्धि सहित, का राज्य स्वास्थ्य सोसायटी शासी निकाय (एसएचएस जीबी) द्वारा अनुमोदन किया जाता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि पारिश्रमिक का अनुमोदन इस प्रकार किया जाए कि इससे एचआर एकीकरण की प्रक्रिया सरल हो तथा समान अर्हता, कार्यभार और कार्यकौशल वाले कर्मचारियों के लिए वेतन युक्तिसंगत बनाया जा सके।

एनएचएम के अंतर्गत, विशेषज्ञ चिकित्सकों को देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को हार्ड एरिया भत्ता देना ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करना भी शुरू किया गया है।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

****